न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **सुभाष चंद्र**

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का छापोली,

बनाम

श्री गोकुल पुत्र भगवाना जाति माली निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 23/2021 दिनांक 15.02.2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का छापोली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2077 में मौजा ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 3361 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0 मु0 बनी में से 0.0184 है0 सरकारी भूमि पर श्री गोकुल पुत्र भगवाना जाति माली निवासी छापोली ने अनाधिकृत रुप से अतिकमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष चंद्र भास्कर ने अपना वकालतनामा पेश किया।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिकमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 3361 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0 मु0 बनी में से 0.0184 है0 सरकारी भूमि पर से श्री गोकुल पुत्र भगवाना जाति माली निवासी छापोली को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50/–रुपये (अक्षरे रू पचास मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से अतिकमी को बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुभाष चंद्र)
नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी